that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make ; and

that the House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said joint Committee and communicate to this House the names of 7 members nominated to the Joint Committee by the Chairman of the Rajya Sabha.

MR. SPEAKER : The question is :

"That the question of amendments to election law in the context of the debates in the Lok Sabha in the course of supplementaries to Starred Question No. 580 answered on the 25th August, 1970 be referred to a Joint Committee of the Houses for examination and report with instructions to report by the last day of the first week of the next session ;

that the Committee shall consist of 21 members, 14 from this House to be nominated by the Speaker and 7 from the Rajya Sabha to be nominated by the Chairman, Rajya Sabha ;

that the Speaker, if he agrees to be a member of the Committee, shall be the Chairman of the Committee ; otherwise, the Speaker may nominate one of the members of the Committee to be its Chairman ;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee, the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee ;

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make ; and

that the House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of 7 members nominated to the Joint Committee by the Chairman of the Rajya Sabha.

The motion was adopted.

12.57 hrs.

RE: DISMISSAL OF A LECTURER OF SALWAN COLLEGE, DELHI

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, दो तीन रोज पहले शिक्षा मंत्री ने श्री जावेद आलम के बारे मे एक वक्तव्य यहां पर दिया था। उस समय भी हम लोगों ने मांग की थी कि इस पर बहस करने का सदन को मौका दिया जाय क्योंकि इस सवाल के साथ तीन प्रश्न जुड़े हुए हैं। एक प्रश्न है नागरिकों के अधिकारों का, नागरिकों की स्वतंत्रता का। क्या हमारे संविधान के अनुसार आंतर-धर्मी विवाहों पर कोई रोक है ? क्यों कि फिर तो हमारे पीलू साहब के ऊपर भी आपत्ति आ सकती है, नाथपाई जी के ऊपर भी आ सकती है...व्यवधान...अगर मामला आगे बढ़ा तो कहां तक जायगा ? तो एक तो सवाल आन्तर धर्मी विवाहों का और नागरिकों के अधिकारों का है। दूसरा सवाल है कि जिस शिक्षण संस्था को यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के द्वारा केन्द्रीय सरकार की ओर से 95 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है क्या उस शिक्षण संस्था को सम्प्रदायिकता के आधार पर किसी भी अध्यापक को निकालने का अधिकार दिया जा सकता है ? और तीसरा सवाल है कि क्या इस राजधानी में आज साम्प्रदायिकता की आग भड़काने की इजाजत किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं आज शहर में सब जगह पोस्टर लगे हुए हैं एक भयानक किस्म के पोस्टर हैं। आज मैं अटल बिहारी जी से भी पूछता —इस पोस्टर में लिखा है—जावेद आलम की बेशर्मी की हद। अपनी बदचलनी पर परदा डालने के लिए फिरकापरस्ती की आड़। हिन्दू लड़की से शादी या उस का अपहरण। जयन्ती कहां है ? दिल्ली की जनता का जावेद आलम तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से सवाल। इस बात को लेकर आज 24 नवम्बर को यहां पर एक आम जलसा हो रहा है।

मुझे पता नहीं कि क्या सचमुच हमारे

[श्री मधु लिमये]

इस सदन के माननीय सदस्य श्री बलराज मधोक आदि लोग इस जलसे में शिरकत करने जा रहे हैं। मैंने जो जानकारी हासिल की है उस के अनुसार जावेद आलम की शादी बाकायदा रजिस्ट्रीं का जो कानून है उस के अनुसार हुई है। इस तरह की शादियां हमारे देश में होती हैं और मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं जो लोग कि आज धर्म जाति के बन्धनों को तोड़ रहे हैं। यह इलस्ट्रेटेड वीकली का अंक मेरे पास है।...व्यवधान... मैंने भी अन्तरजातीय किया है। अब दूसरी शादी तो नहीं कर सकता आन्तर-धर्मी।

एक माननीय सदस्य : नायपाई ने अन्तर-राष्ट्रीय किया है।

श्री मधु लिमये: अध्यक्ष महोदय, यह इलस्ट्रेटेड वीकली का अंक है। इसमें कहा गया था कि क्या किसी मुसलमान लड़की की आज हिम्मत है जो यह कहे कि मैं ने शादी की है? तो उस ने अपनी तस्वीर भी भेजी है। एक मुसलमान लड़की ने हिन्दू युवक से शादी की है। मैं आज इस सदन के मार्फत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जावेद आलम के बारे में आप लोग क्या करने वाले हैं? इस के बारे में जांच होनी चाहिये? लड़कियों के अपहरण का मामला है तो क्या सरकार इस सदन में सफाई नहीं दे सकती है? दिल्ली में रजिस्ट्रार का आफिस है। आप पता लगा सकते हैं कि वास्तव में शादी हुई है या अपहरण हुआ है? इस तरह साम्प्रदायिकता की आग भड़काने का प्रयास इस शहर में नहीं होना चाहिए। हमारी प्रधान मंत्री एक नकली लड़ाई हमेशा साम्प्रदायिकता के खिलाफ चलाती है। लेकिन जब कोई ठोस काम करने की बात आती है तो कदम पीछे हट जाता है। इस लिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आज अटल बिहारी जी, डा० राम सुभग सिंह, दूसरे बड़े बड़े नेता और प्रोफेसर साहब से अपील करूंगा कि क्या साम्प्रदायिकता को भड़काने का जो प्रयास चल रहा है, उस से वह अपना रिश्ता तोड़ देंगे और कहेंगे कि यह सब जो चलाया जा रहा है उस से उनका कोई मतलब नहीं है और जावेद आलम के बारे में कालिज की गवर्निंग बाडी ने जो फैसला किया है कि उन को निकाला जायगा, नागरिकों को धमकाया जा रहा है, जिन छात्रों ने अपना विरोध प्रकट किया है उनको भी धमकाया जा रहा है, उन के ऊपर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया जा रहा है—इन सब के बारे में मैं चाहता हूं कि सदन को चर्चा करने का मौका दिया जाय।

13 hrs.

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, यह मामला मेरी कांस्टीचूएन्सी का है, इस पर मुझे कुछ कहने का अवसर दीजिये। अध्यक्ष महोदय, यह जो कहा गया है कि साम्प्रदायिकता बढ़ाई जा रही है, वास्तव में साम्प्रदायिकता बढ़ाने का काम हमारे मधु लिमये जी करेंगे, इस की मुझे उन से अपेक्षा नहीं थी.....

श्री मधु लिमये: : मैंने ऐसा क्या कहा है?

श्री बलराज मधोक: अगर साल्वान कालिज वाले साम्प्रदायिकता भड़काते हैं तो उन को किस ने मजबूर किया था कि जावेद आलम को रखा जाय। वास्तविकता यह है कि इस कालिज के पास बहुत से लोगों की पोलिटिकल सायंस की लैक्चरार शिप के लिये एप्लीकेशन्ज आई थीं। इधर कुछ दिनों से दिल्ली यूनीवर्सिटी में कुछ कम्यूनलिस्ट्स और कुछ कम्यूनिस्ट्स इकट्ठे हुए हैं, पहले उन्होंने इस कालिज पर एक कम्यूनिस्ट को लादने की कोशिश की प्रिन्सिपल के रूप में, जिस की यूनीवर्सिटी द्वारा प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम

क्वालीफिकेशन्ज भी नहीं थीं, उस के लिए वाइस-चांस्लर ने दबाव डाला, लेकिन वहां की गवर्निंग बाडी ने एक स्टैण्ड लिया और उस प्रिन्सिपल को इम्पोज नहीं किया जा सका।...

MR. SPEAKER : You must be relevant to the question under discussion; It is about this marriage. I am not allowing any debate on this.

श्री बलराज मधोक : अध्यक्ष महोदय, मैं फैक्ट्स को रख रहा हूँ, आप इसको सुनिये। ये लोग फैक्ट्स से भागते हैं और दिल्ली के अमन को आग लगाना चाहते हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो लोग दिल्ली के अमन को आग लगाना चाहेंगे, हम उसे बरदाश्त नहीं करेंगे। ये कांग्रेस वाले, कम्यूनिस्ट वाले, मुस्लिम लीग वाले इस दिल्ली के अन्दर, चूंकि अभी यहां दंगा नहीं हुआ है, ये यहां दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं, यह इनकी चाल है। ...(व्यवधान)...इन्होंने क्या किया ? मेरा हैंड आफ दी डिपार्टमेंन्ट पर चार्ज है, शिक्षा मंत्री एन्कवारी करें, वहां बहुत से लोग गये, जिन में बैटर क्वालीफाइड लोग भी थे। उन्होंने कहा कि हम ने वहां मुसलमान को लाना है, तुम वहां मत जाओ, क्योंकि बैटर क्वालीफाइड जाते तो उनको ले लिया जाता। उन को कहा गया कि हम तुम को वहां नहीं लेंगे। उस के बावजूद भी इन को रखा गया, अगर सल्वान कालिज वाले कम्यूनल होते तो उन को क्यों रखते.....

SHRI VASUDEVAN NAIR (Peermade) : What is this ? Are you allowing a general discussion on this subject ?

श्री बलराज मधोक : मैं उसी बात पर आ रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिये। शादी वह किस से करता है, हमें उस से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मेरा वास्ता इस आदमी से है। इस आदमी ने वहां मिस-बिहेव किया, मेरे पास चिट्ठियां हैं, लैक्चरार्ज की शिकायतें हैं। उस कालिज में लड़कियां भी पढ़ती हैं, इस तरह के बदचलन आदमी को बरदाश्त नहीं किया जा सकता। आप ने तो उन को पौलीगैमी की इजाजत दे रखी है...व्यवधान... यह एक बुनयादी सवाल है। मैं प्रधान मंत्री जी से भी कहूँगा वह एक महिला है, बेटे-बेटियोंवाली हैं, पौतोंवाली है, इस प्रकार के हालत वहां पैदा न होने दें। जब जामा मिलिया का सवाल आया तो कम्यूनल आधार पर बहुत से लड़कों का कैरियर खराब कर दिया गया। मैंने शिक्षा मंत्री से कहा तो वह कहने लगे कि तुम कहते तो सच हो लेकिन उस पर हमारे राष्ट्रपति जी और श्रीमती इन्दिरा गांधी जी का हाथ है। जब जामा मिलिया का सवाल आता है तो इनको सांप सूंघ जाता है, जब अलीगढ़ का सवाल आता है तो इनको सांप सूंघ जाता है, तब इन को साम्प्रदायिकता याद नहीं आती। आज दिल्ली के अमन को खराब करने के लिए इस प्रकार की बातें की जाती हैं। मैं तथ्यों के आधार पर इन की बातों का खण्डन करना चाहता हूं। गवर्निंग बाडी ने जो फैसला लिया है, अगर उस फैसले के खिलाफ गवर्नमेंट कोई इन्टरफीयरेंस करती है, उसको रोकती है, तो पहले जामा मिलिया के खिलाफ इन्कवायरी बैठे। अगर दिल्ली के अमन को आग लगाने की कोशिश करेंगे तो हम उस को बरदाश्त नहीं करेंगे। मैं यह वार्निंग देना चाहता हूँ। इन्होंने गलत तथ्य पेश किये हैं, इन तथ्यों के बारे में जनता अपना दिमाग साफ कर ले।

श्री हरदयाल देवगुण : (पूर्व दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय.....

MR. SPEAKER : Will you please sit down ? I have not allowed it. You are speaking without my permission. You are forcing me.

श्री हरदयाल देवगुण : अध्यक्ष महोदय, मैं तथ्यों के आधार पर इनकी बात का खण्डन करना चाहता हूँ। गवर्निंग बाडी ने जो फैसला

[श्री हरदयाल देवगुण]

लिया है मैं उस के तथ्य आप के सामने रखना चाहता हूँ। गवर्निंग बाडी ने या किसी ने भी इस आधार पर कोई फैसला नहीं किया है कि उस ने किस से शादी की है। मैं खुद भी उस गवर्निंग बाडी का मेम्बर हूँ, मुझे वहां के तमाम फैक्ट्स मालूम हैं। यहां जितने तथ्य दिये गये हैं, वे गलत हैं, उस को इसलिये निकाला गया कि उस के खिलाफ कई इल्जाम थे, लेकिन चूंकि वह मुसलमान है और उस ने एक हिन्दू लड़की से शादी की है, इस बात को लेकर ये लोग उस को यहां ठूंसना चाहते हैं। .....व्यवधान.....यह कहना गलत है कि उसको इस आधार पर निकाला गया है, और सही है तो कहां है वह रेजोल्यूशन जिस की बिना पर उस को निकाला गया है। ये बिलकुल झूठ बोल रहे हैं। वह रेजोल्यूशन कहां है, दिखलाइये ?

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : इस मामले को कम्यूनल रंग नहीं दिया जाना चाहिये। This is not proper

श्री हरदयाल देवगुण : ये लोग यहां पर गलत फैक्ट्स दे रहे हैं।

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR, V. K. R. V. RAO) : Mr. chairman, Sir,...

AN HON. MEMBER : Mr. Speaker.

DR. V. K. R. V. RAO : I am very sorry. It shows how much has been the excitement.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। श्री मधु लिमये को आपने किस नियम के अन्तर्गत इजाजत दी है ?.....

श्री मधु लिमये : आप भी उठाते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या आप इस पर चर्चा का मौका देंगे ?

MR. SPEAKER : I have allowed him under rule 377.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री मधु लिमये ने मेरा नाम भी लिया है, तो क्या आप मुझे भी बोलने का मौका देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

I have already listened to Shri Madhok. I am not allowing any debate on that.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस का मतलब है आप चर्चा कराना भी चाहते हैं, और नहीं कराना भी चाहते हैं।...

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अगर ये बोलेंगे तो हम को भी मौका दीजिये, यह हमारी दिल्ली का सवाल है...

श्री हरदयाल देवगुण : उन्होंने गलत बातें कहीं हैं लेकिन हम ने उन को बड़ी शान्ति से सुना, अब उन को खण्डन करने के लिए हम को भी मौका दीजिये।

श्री कंवर लाल गुप्त : अगर ये गलत बात कहेंगे तो हम भी उस का जबाब देंगे।

एक माननीय सदस्य : सभा-पटल पर ऐसा बयान नहीं होना चाहिये, सब को सुन कर बयान होना चाहिये।

श्री बलराज मधोक : अलीगढ़ में इतना बड़ा मामला हो जाता है, लोग भूख हड़ताल पर बैठे है, उस के बारे में स्टेटमेन्ट देने की इन की हिम्मत नहीं होती है, इस मामले पर रोज स्टेटमेन्ट देने के लिए शिक्षामंत्री चले आते है, मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा आसमान टूट पड़ा है। इस तरह से ये एन्टी सोशल एलीमेन्ट्स को सपोर्ट करते हैं।

I want to stop such things. They want to create unrest in Delhi and riots in Delhi. It is my charge. They are wanting to have riots in Delhi. We will not tolerate it.

श्री हरदयाल देवगुण : वहां की लेडी टीचर की मां ने लिखकर दिया है कि यह आदमी बदचलन है.....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप ने रूल 377 कोट किया है, जिस के अन्तर्गत आपने मधु लिमये को इजाजत दी है। यह इजाजत आप पहले भी देते रहे हैं, लेकिन इस नियम में यह कहां लिखा है कि मंत्री इस का जवाब देंगे।

MR. SPEAKER : I want the Minister to make a statement on it. The Minister must make the position clear about it. *(Interruption)*

श्री कंवर लाल गुप्त : आप कितनी बार मिनिस्टर को एलाऊ करेंगे ? एक बार बयान दे चुके हैं, अब कितनी बार बयान देंगे ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप इस पर बहस कराइए।...**व्यवधान**...

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या रोज पार्लियामेन्ट में शादी की चर्चा होती रहेगी ? आप कर लीजिये शादी, जिसके साथ करना चाहें लेकिन यह तमाशा यहां क्यों होता है...**व्यवधान**...

श्री हरदयाल देवगुण : आप ने गवर्निंग बाडी को कहां डाइरैक्शन दी है, कौन से कानून में डाइरैक्शन दी है कि वह टेम्परेरी लैक्चरार को हटा नहीं सकती आप खुद कम्यूनलिज्म पैदा करना चाहते हैं, यहां पर बदअमनी पैदा करना चाहते हैं। पार्लियामेन्ट के फोरम का इस के लिये इस्तेमाल हो रहा है। वह चाहे किसी से शादी करें, मुझे कोई एतराज नहीं है.....

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : तब फिर इन को क्यों परेशानी हो रही है ?

श्री कंवर लाल गुप्त : वह किसी से शादी करे हमें कोई एतराज नहीं है, हिन्दू से करे, मुसलमान से करे.....

श्री बलराज मधोक : इस पर बहस होनी चाहिए।

MR SPEAKEK : I must listen to the Minister. I cannot listen to the Members now before I listen to the Minister.

श्री कंवर लाल गुप्त : ऐसा किस तरह से होगा। हम उन को नहीं सुनना चाहते हैं।

MR. SPEAKER : Why don't you let him make the position clear ? *(Interruptions)*. If the hon. members go on interrupting like this I will adjourn the House for lunch. The minister may lay it on the Table. *(Interruptions)*.

DR. V. K. R. V. RAO : It is not a statement. *(Interruptions)*.

श्री हरदयाल देवगुण : गवर्निंग बाडी में दिल्ली हाईकोर्ट का एक जज है जिन्होंने फैसला किया है ...**व्यवधान**...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दो दिन पहले शिक्षा मंत्री ने इस मामले पर वक्तव्य दिया था। आप अगर चाहते हैं ...**व्यवधान**...

श्री कंवर लाल गुप्त : आप आखिर रोजाना क्या वक्तव्य देना चाहते है ?...

...**व्यवधान**...

MR. SPEAKER : Why don't you allow him to make the statement ? Do you think by shouting, you can stifle the debate ? I am not going to allow that. If you go on interrupting I will ask the Minister to lay it on the Table, and adjourn the House till quarter past two. *(Interruptions)*.

13. 3 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till fifteen minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at eighteen minutes past Fourteen of the Clock.

[**Shri Shri Chand Goyal** *in the Chair.*]

RE: DISMISSAL OF A LECTURER OF SALWAN COLLEGE, DELHI—*Contd.*

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Sir. I want to raise a point of order.

अभी श्री वी० के० आर० वी० राव जो बयान देने जा रहे हैं उस के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि हमारा इस शादी पर कोई ऐतराज नहीं है ।

MR. CHAIRMAN : The Speaker concluded that matter by asking the Minister to lay it on the Table.

श्री कंवर लाल गुप्त : अभी वह कन्क्लूड नहीं हुआ है ।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Where is the statement ?

SHRI KANWAR LAL GUPTA : He has not laid it.

MR. CHAIRMAN : That must have been circulated.

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा कहना यह है कि किस के साथ किस की शादी होती है इस पर मुझे कोई एतराज नहीं है.....

MR. CHAIRMAM : You are repeating what took place before lunch.

श्री कंवर लाल गुप्त : न हमारी पार्टी को कोई ऐतराज है । लेकिन जिस बात पर ऐतराज है उस के कई कारण हैं । एक तो यह कि यह सवाल बार बार यहां नहीं आना चाहिये ।

MR. CHAIRMAN : This question is not to be taken up now, Enough has already taken place before Lunch.

श्री कंवर लाल गुप्त : हम ने कहा था कि हम दो बजे के बाद उठायेंगे । मैं भी एक गवर्निंग बाडी का चेयरमैन हूं .....

MR. CHAIRMAN : You had made your submission before.

श्री कंवर लाल गुप्त : आप मुझ को एक मिनट दे दीजिये, मैं अपनी बात उसमें खत्म कर दूंगा । मेरा दूसरा ऐतराज यह है कि यह जो ऐलिगेशन लगाये जाते है कि मेरी पार्टी...

श्री मधु लिमये : ऐलिगेशन कहां है ?

श्री कंवर लाल गुप्त : आप मेरे बाद बोल लीजियेगा ।

श्री मधु लिमये : हम आप की बात सुनना चाहते हैं, श्री अटल बिहारी बाजपेयी को भी सुनना चाहते हैं । लेकिन बयान कहां है ? इसमें सीक्रेसी की क्या बात है ? पहले बयान आने दिया जाये और हमें उसकी नकल दी जाये ।

सभापति महोदय : मुझे पता लगा है कि वास्तव में अभी तक कोई स्टेटमेंट टेबल पर नहीं रक्खा गया है ।

श्री मधु लिमये : तब फिर हम किस चीज पर बहस कर रहे हैं । मैं सरकार से खुलासा चाहता हूं ।

सभापति महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री मधु लिमये : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं इस मामले में श्री गुप्त को नहीं सुनना चाहता हूं, लेकिन पहले सरकार को सुनना चाहता हूं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : अगर कोई इस तरह की शादी के खिलाफ है तो यह उसकी व्यक्तिगत राय हो सकती है । लेकिन यह तो गवर्निंग बाडी की बात है । यह हमारी पार्टी का सवाल नहीं है । यह बार-बार कैसे...

श्री हरदयाल देवगुण : बयान एक पक्ष... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आर्डर-आर्डर । अब इस को खत्म कीजिये ।

श्री हरदयाल देवगुण : उन्होंने एक पक्षीय वर्णन दिया है । यह गलत चीज है अगर आप उस को देने की इजाजत देते हैं (व्यवधान) में गवर्निंग बाडी का मेम्बर हूँ (व्यवधान) यह इस को साम्प्रदायिक प्रश्न बनाना चाहते हैं । यह बात बिल्कुल अनुचित है । इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए ।

MR. CHAIRMAN : Please resume your seat. Mr. Bal Raj Madhok and Mr. Kanwar Lal Gupta have already made the point clear. This was raised before lunch That is over now. *(Interruptions)*

14.22 hrs.

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

श्री ओमप्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : सभापति महोदय, इस समय जो बिल आया है उस के सम्बन्ध में मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि संविधान में जो कमी थी और जो अन्याय हो रहा था अनुसूचित जातियों और आदिवासियों के साथ उस का उस ने मार्जन किया । मैं इस सेलेक्ट कमेटी को भी धन्यवाद देता हूं जिसने सर्वसम्मति से इस बिल के सम्बन्ध में रिपोर्ट हमारे सामने उपस्थित की । आप आश्चर्य करेंगे कि सभी पार्टियों के प्रतिनिधि उस में थे और सभी ने सर्वसम्मति से उसकी रिपोर्ट को पास किया । लेकिन आज इस हाउस में एक अजीब वातावरण उत्पन्न करने की चेष्टा की जा रही है । मुझे तो सब से अधिक आश्चर्य सरकार पर आता है जो इस सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को सैबोटेज करने की कोशिश कर रही है ।

आज मैं बतला देना चाहता हूं कि आज उस के पाप का पता चलने वाला नहीं है, कल उसका पता चलेगा । जैसा मैं ने मेघालय बनाने के समय सरकार से कहा था कि आप यह एक पाप पैदा कर रहे हैं । इस देश में आप एक आग जला रहे हैं, और उस आग की ज्वाला आज सामने आनी शुरू हो गई है । इस बिल का उद्देश्य वास्तव में उन लोगों को संरक्षण देना था जो इस देश में आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं । उन लोगों की सरकार सहायता करना चाहती थी । इससे स्पष्ट प्रकट है कि केवल आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुये लोगों की सहायता का सवाल नहीं उठाया गया । अगर आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए लोगों का सवाल होता तो देश में आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ेपन के नीचे ब्राह्मण, क्षत्री वैश्य आदि भी दबे हुए हैं । सभी जगहों पर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है ।

एक विशेष वर्ग इस देश में ऐसा था जो एक दो साल से नहीं शताब्दियों से आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से पिछड़ा हुआ था । इसलिए उस वर्ग की विशेष सहायता करने के लिए हमने विधान में प्रावधान किया था । उसमें केवल अनुसूचित जातियों का समावेश किया गया लेकिन उस में आदिवासियों को जोड़ दिया गया । उस में यह था कि कोई भी हरिजन अथवा कोई भी अनुसूचित जाति का आदमी यदि धर्म परिवर्तन करे तो उसे सरकारी सहायता नहीं मिलेगी । लेकिन यह नियम आदिवासियों पर लागू नहीं होता था, हरिजनों पर ही लागू होता था । अनुसूचित जाति वालों को हरिजनों को इस प्रकार जो लाभ मिलता था वह मिला, जो सहायता मिलनी थी वह मिली और पूरी उन्हीं को मिली सीधे तरीके से मिली । लेकिन आदिवासियों पर यह शर्त लागू नहीं की गई । इसकी एक बहुत बड़ी हानि यह हुई कि आदिवासियों को जो सरकारी सहायता दी जाती थी, वह सहायता उन आदिवासियों को नहीं मिली जो गरीब थे, उन तक वह नहीं पहुंची लेकिन जो उन्नत लोग थे, जो धर्म परिवर्तन कर चुके वह उनको प्राप्त हो गई थी तथा और भी तरीकों से जो आगे बढ़ गये थे, उन्होंने उस तमाम सहायता का उपयोग किया ।